50

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018 निगरानी

1. मुन्नीलाल पुत्र श्री जयराम
2. धन्नालाल पुत्र श्री जयराम
   समस्त निवासीगण ग्राम मदऊखेडी तहसील कुरवाई जिला विदिशा म.प्र.

...........आवेदकगण

बनाम

1. फूल सिंह पुत्र श्री बालाराम
   निवासी ग्राम मदउखेडी तहसील कुरवाई जिला विदिशा म.प्र.
2. तहसीलदार
   तहसील कुरवाई जिला विदिशा म.प्र.

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार कुरवाई जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 65/ अ– 3 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा एक आवेदन प्रसतुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम मदउखेडी स्थित भूमि खसरा नम्बर 290/ 2 कर नक्शा में बंटाक अंकित नही किये गये है अतः नक्शा मे बटांक किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।
2. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 290/2 रकवा 0.523 का सीमाकंन कराया है जिसका प्रकरण क्रमांक 44/अ–12/17–18 नायब तहसीलउदार कुरवाई द्वारा किया गया , परन्तु आवेदकगण को कोई सूचना नही दी गई और ना ही मौके

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/2507

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी तहसीलदार कुरवाई जिला विदिशा के आदेश दिनांक 21.11.2017 के विरुद्ध दिनांक 20.04.2018 को इस न्यायालय विलंब से पेश की गई है, जो कि अवधि वाह्य है। अवधि विधान की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अनिवार्य होता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अवधि वाह्य निगरानी प्रस्तुत करने के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार कुरवाई द्वारा विधिवत इश्तहार जारी किया करते हुए पटवारी से मौका कब्जा एवं स्वत्व अनुसार बटान नक्शा तलब किया जाकर नियत अवधि में आपत्ति मंगाई जाकर विधिवत नक्शा अनुसार राजस्व नक्शा में बटान डाले जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	